प्रारुप कमांक – 1

5901/22 20/6/22

JC4638 11/4/2000 20/6/22

देखिए नियम 3

समिति का संशोधित ज्ञापन पत्र

1. समिति का नाम – विद्या भूमि जनकल्याण समिति, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) होगा।
2. समिति का कार्यालय – सतपुड़ा विहार कालोनी, मकान नं 600, छिन्दवाड़ा, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) में स्थित होगा।

3. संस्था के उद्देश्यः –
   1. साहित्य, कला, संस्कृति, और विज्ञान की शिक्षा के व्यवस्था करना।
   2. स्कूल और कॉलेज संचालित करना।
   3. पुस्तकालयों या वाचनालय संचालित करना।
   4. पर्यावरण सुधार के कार्यकम संचालित करना।
   5. स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यकम संचालित करना।
   6. उपयोगी एव राजनैतिक शिक्षा का प्रसार करना।
   7. लोक संग्रहालयों की स्थापना करना।
   8. सामाजिक कल्याण का सम्प्रवर्तन करना।
   9. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की प्रोन्नति एवं उनका कियान्वयन करना।
   10. प्राकृतिक विज्ञान, यांत्रिक तथा दार्शनिक अविष्कारों या परिकल्पनाओं का संग्रहण एवं संप्रवर्तन करना।
   11. धार्मिक या खैराती प्रयोजन जिसके अंतर्गत सैनिक, अनाथों राजनैतिक पीडितों के कल्याण और वैसे ही व्यक्तियों के कल्याण के लिए निधियों की स्थापना आती है, का संप्रवर्तन करना।

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी निकायों को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नानुसार है :–

क.	नाम पिता / पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धन्धा
1.	शेषराव यादव / आत्मज श्री शालिकराम यादव	अध्यक्ष	सतपुड़ा विहार कालोनी, छिन्दवाड़ा	व्यवसायी / समाजसेवक
2.	धर्मेन्द्र जयसवाल / आत्मज श्री हंसकुमार जयसवाल	उपाध्यक्ष	चारफाटक, छिन्दवाड़ा	पत्रकार / समाजसेवक
3.	श्रीमती आशा अवस्थी / पत्नी श्री राजकुमार अवस्थी	सचिव	बड़वन, छिन्दवाड़ा	शिक्षिका / समाजसेवक
4.	अंशु गुप्ता / आत्मज श्री हिमांशु गुप्ता	सहसचिव	विशुनगर, छिन्दवाड़ा	बैंक कर्मी / समाजसेवक
5.	श्रीमती कारवी गुप्ता पत्नी श्री अंशु गुप्ता	सदस्य	विशुनगर, छिन्दवाड़ा	शिक्षिका / समाजसेविका
6.	श्रीमती विजया यादव / पत्नी श्री शेषराव यादव	कोषाध्यक्ष	विशुनगर छिन्दवाड़ा	गृहणी / समाजसेविका
7.	श्रीमती रेखा मंगले / पत्नी श्री मधुकर मंगले	सदस्य	चंदनगाँव, छिन्दवाड़ा	गृहणी / समाजसेविका

CHAIRMAN
VIDYA BHUMI JANKALYAN SAMITI
CHHINDWARA

Secretary
Vidya Bhumi Jankalyan Samiti
Chhindwara (M.P.)

Treasurer
Vidya Bhumi Jankalyan Samiti
Chhindwara (M.P.)

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित है संलग्न है।

हम अपने व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन–पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं JC 4638 11/4/2000 20/6/22

कमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पिता/पति का नाम, पूर्ण पते सहित	हस्ताक्षर
1.	शेषराव यादव आत्मज श्री शालिकराम यादव सतपुड़ा विहार कालोनी, छिन्दवाड़ा	सही
2.	धर्मेन्द्र जयसवाल आत्मज श्री हंसकुमार जयसवाल चारफाटक, छिन्दवाड़ा	सही
3.	श्रीमती आशा अवस्थी पत्नी श्री राजकुमार अवस्थी बड़वन, छिन्दवाड़ा	सही
4.	अंशु गुप्ता आत्मज श्री हिमांशु गुप्ता विशुनगर, छिन्दवाड़ा	सही
5.	श्रीमती कारवी गुप्ता पत्नी श्री अंशु गुप्ता विशुनगर, छिन्दवाड़ा	सही
6.	श्रीमती विजया यादव पत्नी श्री शेषराव यादव सतपुड़ा विहार कालोनी, छिन्दवाड़ा	सही
7.	श्रीमती रेखा मंगले पत्नी श्री मधुकर मंगले चंदनगाँव, छिन्दवाड़ा	सही

जो अनावश्यक हो उसे काटिये।

सत्य–प्रतिलिपि

साक्षी

हस्ताक्षरः– ....सही.................

नामः–.राजकुमार विश्वकर्मा

पूर्ण पताः–.लालबाग चौक

व्यवसायः–कारपेंटर

20/6/2022

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर संभाग जबलपुर

CHAIRMAN
VIDYA BHUMI JANKALYAN SAMITI
CHHINDWARA

Secretary
Vidya Bhumi Jankalyan Samiti
Chhindwara (M.P.)

Treasurer
Vidya Bhumi Jankalyan Samiti
Chhindwara (M.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (1) BU 079795

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर संभाग जबलपुर

संशोधित ज्ञापन पत्र
की प्रति
संलग्न

CANCELLED

20/6/2022

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

1238 ... 1/6/22 ... 100

... कल्याण समिति

अरुण कुमार जैन
स्टाम्प वेंडर
जिला कचहरी छिन्दवाड़ा
...-246327

छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
06 JUN 2022

1. समिति
1. समिति

1.
2.

संशोधित नियमावली

1. 1. समिति का नाम – विद्या भूमि जनकल्याण समिति, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) होगा।

2. 1. समिति का कार्यालय – सतपुड़ा विहार कालोनी, मकान नं 600, छिन्दवाड़ा, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) में स्थित होगा। तथा संस्था का मोबाईल क्र. 9425819915 एवं ई–मेल आई डी vidyabhumipublicschool@gmail.com होगा

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

4. संस्था के उद्देश्यः –

   1. साहित्य, कला, संस्कृति, और विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था करना।
   2. स्कूल और कॉलेज संचालित करना।
   3. पुस्तकालयों या वाचनालय संचालित करना।
   4. पर्यावरण सुधार के कार्यक्रम संचालित करना।
   5. स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।
   6. उपयोगी एवं राजनैतिक शिक्षा का प्रसार करना।
   7. लोक संग्रहालयों की स्थापना करना।
   8. सामाजिक कल्याण का सम्प्रवर्तन करना।
   9. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की प्रोन्नति एवं उनका कियान्वयन करना।
   10. प्राकृतिक विज्ञान, यांत्रिक तथा दार्शनिक अविष्कारो या परिकल्पनाओं का संग्रहण एवं संप्रवर्तन करना।
   11. धार्मिक या खैराती प्रयोजन जिसके अंतर्गत सैनिक, अनाथों, राजनैतिक पीडितों के कल्याण और वैसे ही व्यक्तियों के कल्याण के लिए निधियों की स्थापना आती है, का संप्रवर्तन करना।

5. सदस्यताः– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :–

(अ) **संरक्षक सदस्यः** संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में पचास हजार रुपए 50000/– या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा, वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्यः** जो व्यक्ति संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में पच्चीस हजार रुपए या अधिक देकर आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य पच्चीस हजार रुपए या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्यः** जो व्यक्ति रुपए चौबीस सौ 2400/– प्रतिवर्ष अथवा 200/– (दो सौ रुपए) प्रतिमाह संस्था को चंदे के रुप में देगा, वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छह माह तक देय चंदा नहीं देगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्माननीय सदस्यः** संस्था कर प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको वोट देने का अधिकार न होगा।

6. **सदस्यता प्राप्तिः** प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो, लिखित रुप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर अध्यक्ष
CHAIRMAN
VIDYA BHUMI JANKALYAN SAMITI

सचिव
Secretary
Vidya Bhumi Jankalyan Samiti

कोषाध्यक्ष
Treasurer
Vidya Bhumi Jankalyan Samiti

7\. **सदस्यों की योग्यता** : संस्था के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:–

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

J.C. 4638
11.4.2000
2016/22

8\. **सदस्यता समाप्ति:–** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:–

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल हो जाने पर
3. संस्था के देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताए अनुसार जमा न करने पर
4. त्यागपत्र देन पर और स्वीकार होने पर,
5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के नियमानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप में देनी होगी।

9\. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी जिसमें निम्न ब्योरे दर्ज किए जावेंगे :–

1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय।
2. वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो। व सदस्यता नम्बर।
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10\. (अ) **साधारण सभा :–** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकता अनुसार हुआ करेगी। परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जायेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जायेगा।

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा :–** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का ऐजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घंटे के लिए स्थागित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) **विशेष:–** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रुप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11\. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था में स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।

(घ) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों की स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

हस्ताक्षर अध्यक्ष CHAIRMAN | सचिव | कोषाध्यक्ष

12. **प्रबंधकारिणी का गठनः–** ट्रस्टीज यदि कोई हों समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य होंगे। नियम 6 (अ.ब.स.) में दर्शाय गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष, (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य – 2

13. **प्रबंधकारिणी का कार्यकाल :–** प्रबंधसमिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति का येष्ठा के कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :–**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके आधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाये।

(च) संस्था की समस्य चल–अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

(ज) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जायेगी।

(य) वित्तीय प्रबंधन करना :– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान से संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान के नियमों के अधीन ऋण प्राप्त करना।

15. **अध्यक्ष के अधिकार :–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार :–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार :–**

1. साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की बैठक समय –समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।
2. समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपए 5000/– करने का अधिकार होगा।

18. **कोषाध्यक्ष के अधिकार :–** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

19. **बैंक खाता :–** संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम 5000/– रुपए रहेंगे।

हस्ताक्षर अध्यक्ष
CHAIRMAN
VIDYA BHUMI JANKALYAN SAMITI

सचिव
Secretary

कोषाध्यक्ष
Treasurer

पंजीयन क्रमांक J.C.4638
पंजीयन का दिनांक 11.1.4/2
प्रमाणित का दिनांक 20/6/2

20. **संयुक्त सचिव के अधिकार :–** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

21. **पंजीयक के पास भेजी जाने वाली जानकारीः–** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फायलिंग फीस के साथ फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत निर्धारित राशि चालान द्वारा संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

22. **संशोधनः–** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीयक विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म एवं संस्थाऐं को होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. **विघटनः–** संस्था के विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/5 मत से पारित किया जाएगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. **बैंक सम्पत्ति :–** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल (संपत्ति स्थावर), रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

25. **बैंक खाता :–** संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जावेगा एवं समय समय पर धन जमा करने एवं निकालने की प्रकिया जारी रहेगी।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलानाः–** संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. **विवाद :–** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर से विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर

हस्ताक्षर अध्यक्ष
CHAIRMAN
VIDYA BHUMI JANKALYAN SAMITI
CHHINDWARA

सचिव
Secretary
Vidya Bhumi Jankalyan Samiti

कोषाध्यक्ष
Treasurer
Vidya Bhumi Jankalyan Samiti
Chhindwara (M.P.)

सत्य–प्रतिलिपि

20/6/2022
Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (2) BU 079796

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर संभाग जबलपुर

संशोधित नियमावली
की प्रति

संलग्न

CANCELLED

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

क्रमांक 1234 दिनांक 14/6/22 मूल्य 100

विक्रय 100 ...

नाम अध्यक्ष विद्याभूमि जन कल्याण समिति छिन्दवाड़ा

अरुण कुमार चौबे
स्टाम्प वेंडर
जेल कम्पाउंड छिन्दवाड़ा
लाइ.-240327

जिला कोषालय अधिकारी
06 JUN 2022
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

FILE NO.

386/2022
3/6/2022

प्रारूप- सात

(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम, पूरा पता, मोबाईल नम्बर तथा ई मेल आई.डी. - विद्या भूमि जनकल्यान समिति, सतपुडा बिहार कॉलोनी मकान नं- 600 छिन्दवाडा 9424819915 / vidyabhumipublicschool@gmail.com

— जे. सी. 4638 / 11.04.2000.

2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख — 01/04/2022

3. शासी निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख — 01/04/2022 से 31/03/2025 तक

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल —

अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल नम्बर	धारित पद	मुख्य उपजीविका	हस्ताक्षर
(1)	डॉ शेषराव यादव	सतपुडा बिहार कालोनी, छिन्दवाडा	9425819915	अध्यक्ष	व्यवसायी/ समाजसेवी	[signature]
(2)	श्री धर्मेन्द जायसवाल	चारफाटक छिन्दवाडा	9407140700	उपाध्यक्ष	पत्रकार/ समाजसेवी	[signature]
(3)	श्रीमति शिवानी बोध	विशु नगर छिन्दवाडा	9174706721	सचिव	शिक्षिका/ समाजसेविका	[signature]
(4)	श्रीमति विजया यादव	सतपुडा बिहार कालोनी, छिन्दवाडा	9125306082	कोषाध्यक्ष	गृहणी/ समाजसेविका	[signature]
(5)	श्री आशीष दुबे	राजनगर, गुरैया रोड छिन्दवाडा	9425022500	संयुक्त सचिव	व्यवसायी/ समाजसेवी	[signature]
(6)	श्री विजय पवनीकर	विवेकानंद कालोनी छिन्दवाडा	9425148177	सदस्य	व्यवसायी/ समाजसेवी	[signature]
(7)	श्री विशेष यादव	सतपुडा बिहार कालोनी, छिन्दवाडा	7049815500	सदस्य	व्यवसायी/ समाजसेवी	[signature]

5. मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन 1000/- रू की वषिक फीस, ऑनलाईन चालान दिनांक 16.04.2022 के माध्यम से जमा कर दी गई है, उसकी प्रति संलग्न है ~~चालान आईडेन्टिफिकेशन नं. (CIN) .... है।~~

"मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

घोषणा

मैं, शेषराव यादव पुत्र श्री शालिगराम यादव आयु लगभग 57 वर्ष एक प्रधिकृत अधिकारी के रूप मे एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सोयटी के अभिलेख पर आधारित होने से मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य मे है। मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है। तो मैं उक्त अधीनियम की धारा 38 की उपधारा 2 के अधीन दण्ड का / की दायी रहूंगा/रहूंगी।

T.C.

हस्ताक्षर ....

CHAIRMAN
VIDYA BHUMI JANKALYAN SAMITI
CHHINDWARA

नाम. शेषराव यादव

पदनाम - अध्यक्ष

मोबा. नम्बर - 9424819915

ई-मेल आई.डी vidyabhumipublicschool@gmail.com

3/6/2022

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	010107090520220076l2		
Total E-Stamp Amount	100		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	100	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	09/05/2022 13:40:43		
Service Provider or Issuer Details	AMITA SAHU/SP011840009202000049		
SP/SRO/DRO/HO Details	RABRA COMPLEX, BASEMENT SHOP, KATANGA CROSSING, GORAKHPUR, JABALPUR JABALPUR JABALPUR		

Deed Details

Deed Type	Copy or Extract
Deed Instrument	Copy or Extract, certified to be a true copy or extract by or order of an public officer under section 76 of the Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees- One hundred rupees.
Purpose	Affidavit

First Party Details

Organization Name	VIDHYA BHOOMI JAN KALYAN SAMITI
Address	SATPUDA VIHAR COLONY CHHINDWARA Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	ASSISTANT REGISTRAR OF FIRMS & SOCITY JABALPUR UDH
Address	UDHOYG BHAWAN, KATANGA JABALPUR Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Affidavit

संस्था विद्या भूमि जनकल्याण समिति
पंजीयन क्र. J.C. 4638
दिनांक 11/04/2000 के नाम से दिनांक 9/5/22 को
प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के
तहत दिनांक 9/5/22 को आवेदक श्री डॉ शेषराव यादव
के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत
प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध में
प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं। कार्यालय द्वारा
धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि जारी की गई है। धारा
29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता
संबंध में प्रमाण-पत्र/आदेश नहीं

Digitally signed by AMITA SAHU
Date: 2022.05.09 13:40:55 IST

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

010107090520220076l2